



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266648  
CG-DL-E-06102025-266648

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947

No. 280]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच की शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

मामला संख्या: – एडी(ओआई)- 34/2025

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "ई.वी.ए. एनकैप्सुलेंट्स" को छोड़कर सोलर एनकैप्सुलेंट्स" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/39/2025-डीजीटीआर.—1. मेसर्स रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से "ईवीए एनकैप्सुलेंट्स" को छोड़कर सोलर एनकैप्सुलेंट्स" (जिसे आगे संबद्ध सामान या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन-पत्र दायर किया है।

- विचाराधीन उत्पाद
- वर्तमान जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद "ईवीए एनकैप्सुलेंट" को छोड़कर सोलर एनकैप्सुलेंट" है। आवेदन-पत्र के अनुसार, सोलर एनकैप्सुलेंट तीन प्रकार के होते हैं: पॉली ओलेफिन एनकैप्सुलेंट (पीओई), ईपीई एनकैप्सुलेंट और

एथिल वेनिल एसीटेट (ईवीए)। ईवीए एनकैप्सुलेंट के विरुद्ध, संबंधित देश के विरुद्ध पहले से ही पाटनरोधी शुल्क लागू हैं, जिसकी सिफारिश अंतिम जाँच परिणाम फा. संख्या 7/12/2023-डीजीटीआर दिनांक 28.12.2023 के द्वारा से की गई थी। इस प्रकार, वर्तमान याचिका में केवल दो अन्य प्रकार के एनकैप्सुलेंट, अर्थात् पीओई और ईपीई एनकैप्सुलेंट हैं।

3. संबद्ध सामान पॉलिमर-आधारित घटक हैं जिनका उपयोग सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण में किया जाता है। इनका उपयोग सौर पीवी कोशिकाओं के एनकैप्सुलेशन के लिए किया जाता है और ये आसंजन और कुशनिंग कार्य करते हैं। ये सबसे ज़रूरी घटकों में से एक हैं जो काँच, सेल और बैक्शीट को एकीकृत रखते हैं और मॉड्यूल को उसके सेवा काल के दौरान यांत्रिक रूप से सहारा देते हैं। इनका निर्माण प्लास्टिक एक्स्ट्रूजन तकनीक का उपयोग करके किया जाता है। पॉलिमर आधारित रेज़िन को कई अन्य योजकों के साथ मिलाया जाता है और मिश्रित सामग्री को शीट के रूप में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा और दाव प्रक्रिया से गुज़ारा जाता है। इन शीटों के निर्माण में प्रयुक्त योजकों में एक क्रॉस लिंकर, एक आसंजन प्रमोटर, यूवी स्टेबलाइज़र और विशिष्ट कार्य प्रदान करने के लिए कुछ अन्य आवश्यक सामग्रियाँ शामिल हैं।
4. कथित पाटित सामान सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि संबद्ध सामानों का आयात कंपनी दर कंपनी और देश दर देश अलग-अलग कोडों के अंतर्गत किया जा रहा है, और आयात शीर्ष 39019000, 39201099, 39202090, 39206290, 39209919, 39209932, 39209939, 39209992, 39209999 के अंतर्गत हो रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और किसी भी तरह से यह उत्पाद थेट्र पर बाध्यकारी नहीं है।
5. आवेदक ने उत्पाद के विभिन्न प्रकारों/रूपों के बीच निष्पक्ष तुलना के उद्देश्य से उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) को अपनाने का प्रस्ताव दिया है। घरेलू उद्योग ने एनकैप्सुलेंट्स के प्रकारों के आधार पर निम्नलिखित दो पीसीएन प्रस्तावित किए हैं।

एनकैप्सुलेंट्स के प्रकार	पीसीएन में तदनुरूपी संख्या
पॉलीओलेफिन एनकैप्सुलेंट	पीओई
ईपीई एनकैप्सुलेंट	ईपीई

6. वर्तमान जाँच के पक्षकार, विचाराधीन उत्पाद और उपरोक्त प्रस्तावित पीसीएन (औचित्य सहित), यदि कोई हो, पर अपनी टिप्पणियाँ जाँच शुरू होने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। बिना औचित्य के प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

#### ख. समान वस्तु

7. समान वस्तु के संबंध में नियम 2(घ) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत हैं जो भारत में पाटन के कारण जाँच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान हैं अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं हैं परंतु जाँचाधीन सामानों के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

8. आवेदक ने अनुरोध किया है कि भारत में पाटित किए जा रहे संबद्ध सामान घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामानों के समान हैं। आवेदक ने आगे दावा किया है कि पाटित आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्ध सामानों की तकनीकी विशिष्टताओं, प्रकार्यों या अंतिम प्रयोगों में कोई अंतर नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने यह भी दावा किया है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए उन्हें पाटनरोधी नियमावली के तहत ‘समान वस्तु’ माना जाना चाहिए। अतः, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों के समान वस्तु माना जा रहा है।

#### ग. घरेलू उद्योग और आधार

9. नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से हैं जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित

पाटित वस्तु के नियर्तिकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

10. यह आवेदन-पत्र मेसर्स रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा, भारत में अन्य उत्पादक भी हैं, अर्थात् विशाखा रिन्यूएब्ल प्राइवेट लिमिटेड, नवितास, ईसीएपी ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड, अलीशान ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, पिक्सल रिडिफाइनिंग सोलर, एनरलाइट सोलर फिल्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फिमटेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड। भारत के कुल घरेलू उत्पादन में से, आवेदक का उत्पादन हिस्सा संबद्ध सामानों के बड़े हिस्से के बराबर है। यह नोट किया जाता है कि सात उत्पादकों में से दो उत्पादकों अर्थात् विशाखा रिन्यूएब्ल प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स नवितास अल्फा रिन्यूएब्ल्स ने आवेदन-पत्र का समर्थन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का देश में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। आवेदक ने यह भी प्रमाणित किया है कि उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के किसी नियर्तिक या आयातक से संबद्ध हैं। अतः, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से आवेदक को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन-पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(ख) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

#### **घ. संबद्ध देश**

11. यह आवेदन-पत्र चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां नियर्तित संबद्ध सामानों के कथित पाटन के संबंध में दायर किया गया है। अतः, वर्तमान जाँच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

#### **ड. जाँच की अवधि (पीओआई)**

12. आवेदक द्वारा प्रस्तावित जाँच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2024 – 31 मार्च 2025 है। उनके द्वारा प्रस्तावित क्षति जाँच की अवधि में 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जाँच की अवधि शामिल है।

#### **च. पाटन मार्जिन परिकलन**

##### **चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य**

13. आवेदक ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(ए) (i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और विक्री के संबंध में नियमों के अनुबंध I के पैरा 8(3) के अनुसार, विषयगत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं कि उनकी लागत और मूल्य संबंधी जानकारी बाजार-संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुबंध I के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

14. आवेदक ने दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आँकड़े या वैकल्पिक तरीकों का सहारा उपलब्ध नहीं है। आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है, जिसमें विक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय, और लाभ को उचित रूप से जोड़ा गया है। जाँच शुरू करने के उद्देश्य से, चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य, विक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय और लाभ को उचित रूप से समायोजित करने के बाद, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

#### **नियर्ति कीमत**

15. विषयगत वस्तुओं का नियर्ति मूल्य, डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में दर्शाए गए अनुसार, विषयगत वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। समुद्री माल ढुलाई, समुद्री बीमा, अंतर्रेशीय परिवहन, कमीशन, बंदरगाह व्यय, हैंडलिंग शुल्क और बैंक शुल्क के आधार पर मूल्य समायोजन किया गया है ताकि कारखाना-बाहर नियर्ति मूल्य निर्धारित किया जा सके।

#### **पाटन मार्जिन**

16. सामान्य मूल्य और नियर्ति मूल्य की तुलना कारखाना-बाहर स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और चीन जनवादी गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में

महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया पर्यास साक्ष्य मौजूद हैं कि विषयगत देश से विचाराधीन उत्पाद को विषयगत देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाट दिया जा रहा है।

#### **छ. क्षति का आरोप और कारणात्मक संपर्क**

17. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं। आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है और मूल्य वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा हुई होती। घरेलू उद्योग को कम आयात कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए गैर-लाभकारी कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो क्षति अवधि में बिगड़ गई है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के पर्यास प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जांच शुरू करने को उचित ठहराते हैं।

#### **ज. जांच की शुरुआत**

18. घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर, और विचाराधीन उत्पाद के पाटन को सिद्ध करने वाले, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, और घरेलू उद्योग को पर्यास क्षति के आधार पर, स्वयं संतुष्ट होने पर प्राधिकारी एतद्वारा तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्यास होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार तथाकथित पाटन और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

#### **झ. प्रक्रिया**

19. इस जांच में नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

#### **ञ. सूचना प्रस्तुत करना**

20. सभी पत्र निर्दिष्ट प्राधिकारी को jd11-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dd19-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in. को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का व्याख्यात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में है और डाटा फाइलें एमएस-एक्सल फार्मेट में हैं।

21. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, संबद्ध देश की सरकार को भारत में उनके दूतावास के माध्यम से और भारत में आयातकों तथा प्रयोक्ताओं, जो संबद्ध सामानों से जुड़े हुए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके से सभी संगत सूचनाएं दे सकें। सभी सूचनाएं इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित स्वरूप और तरीके में, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार दायर की जानी चाहिएं।

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच की शुरुआत अधिसूचना, नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से, इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर, वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है।

23. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय रूपांतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।

24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

#### **ट. समय सीमा**

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते jd11-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dd19-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। यदि कोई सूचना निर्धारित

समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं।

26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएँ और उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें। जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दायर करने के लिए अतिरिक्त समय चाहता है, उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

#### ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. जहाँ कोई पक्षकार कोई गोपनीय अनुरोध करता है अथवा प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहाँ उस पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उस सूचना का अगोपनीय रूपांतर साथ-साथ प्रस्तुत करें। इसका अनुपालन न किए जाने पर उत्तर/अनुरोध रद्द किए जा सकते हैं।
28. यह अनुरोध प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” चिन्हित होने चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध “अगोपनीय” सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
29. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचनाएँ निहित होंगी जो स्वभावतः गोपनीय हो, और/या अन्य सूचना, जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना को प्रकट क्यों नहीं किया जा सकता।
30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध या ब्लैंकड आउट दिया जाना चाहिए (जहाँ सूचीकरण संभव नहीं है) और ऐसी सूचना को उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया जाना चाहिए, जो उस सूचना पर निर्भर करता है, जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।
31. अगोपनीय सार में गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सार को उपयुक्त रूप से समझने के लिए पर्याप्त विवरण होना चाहिए। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार नहीं दिया जा सकता है, और एक कारण विवरण दिया जाना चाहिए कि वह सार क्यों संभव नहीं है और यह सब प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए दिए जाने चाहिए।
32. अन्य हितबद्ध पक्षकार, अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालित होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर, हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर अनुरोध में दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
33. सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना या पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनुसार उचित कारण विवरण के बिना तथा गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के बिना किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
34. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच के संबंध में गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या रद्द कर सकते हैं, यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं हैं या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या तो इच्छुक नहीं हैं या सामान्य रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत नहीं करना चाहता है या सार रूप में नहीं देना चाहता है तो वे उस सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
35. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट और स्वीकार होने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।
- ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण
36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों/उत्तरों/सूचना का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों

को ईमेल करें। अनुरोधों/उत्तरों/सूचना का अगोपनीय रूपांतर परिचालित न करने की स्थिति में, जांच की शुरआत की अधिसूचना के खंड एम के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है।

#### **३. असहयोग**

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या इस जांच की शुरआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या अलग पत्र के माध्यम से बाद में दी गई समयावधि में आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वे उचित समझें।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)**

### **INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2025

**Case No. AD(OI)-34/2025**

**Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Solar Encapsulants excluding EVA Encapsulants” originating in or exported from China PR..**

**F. No. .6/39/2025-DGTR.**—1. M/s RenewSys India Pvt. Ltd (hereinafter also referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for imposition of Anti-dumping duty on imports of “Solar Encapsulants excluding EVA Encapsulants” (hereinafter also referred to as the subject goods or PUC) from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

#### **A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

2. The product under consideration for the present application is “Solar Encapsulants excluding EVA encapsulant”. As per the applicant, solar encapsulants are of three types: Poly Olefin Encapsulant (POE), EVA-POE-EVA Encapsulant (EPE), and Ethyl Vinyl Acetate (EVA). Anti-dumping duties on EVA encapsulants are already in force against the subject country, pursuant to the Final Findings issued vide F. No. 7/12/2023-DGTR dated 28.12.2023. Accordingly, the present petition is limited to the other two types of Encapsulants, namely POE and EPE.
3. The subject goods are polymer-based components used in the manufacturing of solar PV modules. They are used for encapsulation of solar PV cells and perform adhesion and cushioning functions. These are one of the most essential components which keeps glass, cell and backsheet integrated and support the module mechanically during its service life time. These are manufactured using plastic extrusion technology. Polymer based resin is mixed with several other additives and the mixed material is passed through heat and pressure process to convert it in a sheet form. The additives used in the manufacturing of these sheets comprises of a cross linker, an adhesion promoter, UV stabilizer and some other essential materials to impart specific functions. The subject goods fall in the category of plastic sheeting and films made using extrusion technology. The cell connected with string is placed between two sheets. Glass is placed on top of the sheets whereas on the other side, a backsheet is placed in the bottom.
4. The alleged dumped goods are classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975. The petitioner has submitted that the subject goods are being imported under different codes from company to company and country to country, and the imports are happening under the headings 39019000, 39201099, 39202090, 39206290, 39209919, 39209932, 39209939, 39209992, 39209999. The customs classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope.

5. The petitioner has proposed adoption of following Product Control Numbers (PCN) for the purpose of fair comparison between different types/forms of the product.

Type of Encapsulants	Corresponding number in PCN
Poly Olefin Encapsulant	POE
EPE Encapsulants, and	EPE

6. The interested parties to the present investigation may provide their comments on the product under consideration and above proposed PCNs (with justification), if any, within 15 days of receiving intimation of the initiation of the investigation. Submissions made without justification will not be considered by the Authority.

#### B. LIKE ARTICLE

7. Rule 2(d) with regard to like article provides as under: -

*"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*

8. The applicant has submitted that subject goods which, are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. The applicant has further claimed that there are no differences either in the technical specifications, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. In addition, applicant also claimed that the two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like articles' under the Anti-Dumping Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

#### C. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

9. Rule 2(b) defines domestic industry as follows:

*"domestic industry" means the domestic producers as a Whole of the Like Article or domestic producers whose collective output at of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry"*

10. The application has been filed by M/s RenewSys India Pvt. Limited. Apart from the applicant, there are other producers in India, viz. Vishakha Renewable Pvt Ltd, Navitas Alpha Renewables, ECAP Green Tech Pvt Ltd, Alishan Green Energy PVT. Ltd, Pixel Redefining Solar, Enerlite Solar Films India Pvt. Ltd. and Fimtech solar Pvt. Ltd. Out of the total domestic production India, the applicant's production share amounts for major proportion of the subject goods. It is noted that two producers namely Vishakha Renewables Pvt. Ltd. and M/s Navitas Alpha Renewables supported the application. The Authority notes that the applicant alone holds a major proportion in the total domestic production in the country. The applicant has claimed that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are they related to any exporter or importer of the subject goods from the subject countries. Therefore, the Authority has considered the petitioner as Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules and the petitioner satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(b) of the Rules supra.

**D. SUBJECT COUNTRY**

11. The application has been filed in respect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from China PR. Therefore, the subject country for the present investigation is China PR.

**E. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)**

12. The period of investigation (POI) proposed by the applicant is 1st April 2024 – 31st March 2025. The injury investigation period proposed by them cover the periods FY 2021-22, FY 2022-23, FY 2023-24 and the period of investigation.

**F. DUMPING MARGIN COMPUTATION****Normal Value for China PR**

13. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The domestic industry has claimed that the producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the Rules with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the domestic industry that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of para 7 and 8 of Annexure I to the Rules. 15.
14. The applicant has claimed that the data relating to cost or price in market economy third country or recourse to alternative methods are not available. The applicant has determined normal value for China PR based on the best estimates of cost of production in India with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits. Normal value for China PR, for the purpose of initiation of the investigation, has been constructed based on the best estimates of the cost of the production of the domestic industry after duly adjusting the selling, general and administrative expenses and profits.

**Export Price**

15. The export price of the subject goods has been determined by considering CIF price of the subject goods, as reported in the DG Systems data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation, commission, port expenses, handling charges and bank charges to arrive at ex-factory export price.

**Dumping Margin**

16. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie establishes that the dumping margin is above the de minimis level and is significant with respect to the product under consideration from China PR. Thus, there is sufficient prima facie evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

**G. ALLEGATION OF INJURY AND CASUAL LINK**

17. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished prima facie evidence establishing that the imports have caused material injury to the domestic industry. The information concerning imports and economic parameters of the domestic industry over the injury period show that the imports of subject goods from subject country have increased in absolute terms over the injury period. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. The imports have depressed the prices of the domestic industry, and have prevented price increases, which otherwise would have occurred. The domestic industry has been forced to sell at non-remunerative prices in order to compete with the low import prices and to maintain its market share. This has adversely impacted the profitability of the domestic industry which has deteriorated in the injury period. There is sufficient prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry due to the dumped imports from the subject countries to justify initiation of anti-dumping investigation.

## **H. INITIATION OF THE INVESTIGATION**

18. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, substantiating the dumping of product under consideration and subsequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation into the alleged dumping and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the Domestic Industry.

## **I. PROCEDURE**

19. The provisions stipulated in Rule 6 of the Rule shall be followed in the present investigation.

## **J. SUBMISSION OF INFORMATION**

20. All communication should be sent to the Designated Authority via email at the email address jd11-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dd19-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
21. The known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
22. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
24. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

## **K. TIME LIMIT**

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses jd11-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, dd19-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@govcontractor.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the ADD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

## **L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

27. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the same may lead to rejection of the response / submissions
28. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non- confidential”

information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

29. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
30. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
31. The non-confidential summary must be insufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
32. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the submissions.
33. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
34. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
35. The Authority, on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **M. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

36. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non -confidential version of submission / response/information might lead to action under Section M of this Initiation Notification

#### **N. NON-COOPERATION**

37. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequently time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority